

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर  
अपील / आरटीआई / 97 / 2022

श्री बनयसिंह मीना, मकान नं0 75 शिवनगर हनुमान जी बगीचे के पास  
भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005


आदेश

दिनांक 30.12.2022

अपीलार्थी श्री बनयसिंह मीना, मकान नं0 75 शिवनगर हनुमान जी बगीचे के पास भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी, सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर के खिलाफ अपील प्राप्त हुई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/22/940 दिनांक 15.12.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। उपरोक्त लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त जबाब को शामिल पत्रावली किया गया।


हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया, अपीलान्त ने अपनी अपील में कथन किया है कि लोक सूचना अधिकारी ने उसे सूचना उपलब्ध नहीं कराई है। लोक सूचना अधिकारी नगर विकास न्यास, भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र क्रमांक/ सूआ /2022/9257 दिनांक 20.12.2022 का अवलोकन किया गया, जबाब में अंकित तथ्यों से जाहिर आया कि आप द्वारा चाही गई सूचना के सम्बन्ध में नगर विकास न्यास भरतपुर ने जरिये पत्र क्रमांक/ सतर्कता/ 113 / 2022 /7955 दिनांक 2.11.2022 से आपको सूचित कर दिया गया है(जिसकी प्रति सलंगन है) यानि लोक सूचना अधिकारी नगर विकास न्यास स्तर पर सूचना लम्बित नहीं है।

  
जिला कलक्टर  
भरतपुर (राज०)

.....2

(2) अपील / आरटीआई / 97 / 2022  
बनैयसिंह मीना बनाम सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंगन कर) प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

  
( आलोक रंजन )  
जिला कलक्टर,  
भरतपुर